अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी-अपनी जनसंख्या के अनुपात में होगा :

परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि अधिसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायत के यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगे :

परन्तु यह भी कि उन अनुसूचित क्षेत्रों में की ग्राम पंचायतों को जिनमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या नहीं है, अनुसूचित जनजातियों के पंचों या सरपंचों के लिए आरक्षित यथा स्थिति स्थानों या पदों के आवंटन से विहित रीति में अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों में व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनका अनुसूचित क्षेत्रों के मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है :

परन्तु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किए जाने वाले कुल सदस्यों के दशमांश से अधिक नहीं होगा।

(3) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत में, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित किए जाएंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, यदि कोई हों, के लिए आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों के तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे।

धारा 129-च. जनपद तथा जिला पंचायत की शक्तियाँ.- इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित क्षेत्रों में यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत को निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी, अर्थात् :-

(एक) किसी विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र तक के लघु जलाशयों की योजना बनाना, उन पर स्वामित्व तथा उनका प्रबंध करना;

(दो) समस्त सामाजिक सेक्टरों में उनको अन्तरित संस्थाओं तथा कृत्यकारियों पर नियंत्रण करना;

(तीन) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप-योजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिए स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना; और

(चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना जिसे राज्य सरकार, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या न्यस्त करे।

अध्याय 15

निरसन (Repealing)

धारा 130. निरसन तथा व्यावृत्ति.— (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को तथा तारीख से, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1990 (क्र. 13 सन् 1990) जो इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है निरस्त हो जाएगा :